

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

(1) अपील डिक्री / टी.ए. / 1383 / 2006 / भरतपुर

(2) अपील डिक्री / टी.ए. / 1384 / 2006 / भरतपुर

1. रामजीलाल
2. यादराम
3. उद्दन
पिसरान मूसे
4. नत्थी पुत्र नानगा
5. लीला
6. रनधीर
7. कल्लू
पिसरान गिलहरी
8. हरीराम पुत्र मूली
9. प्रेम पुत्र अमरचन्द
10. रामदयाल
11. शिवदयाल
पिसरान गोपी
समस्त जाति जाटव निवासी ग्राम मुढेरा तहसील नगर

....अपीलांट्स

बनाम

1. मूर्ति मंदिर बिहारी जी महाराज जरिये पुराजी प्रेमचंद चेला गोपालदास जाति
बाबाजी निवासी मुढेरा तहसील नगर जिला भरतपुर
2. तहसीलदार नगर

...रेस्पोंडेन्ट्स

खण्ड पीठ

श्री महेन्द्र कुमार पारख, सदस्य
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित—

श्री अनिल शर्मा, अभिभाषक अपीलांट
श्री जे.के.पारीक, अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट

दिनांक :08.02.2021

निर्णय

उपरोक्त दोनों अपीलें राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा अपील संख्या 368/2001 एवं 237/2001 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16-2-2006 के विरुद्ध धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत की गई है।

उक्त दोनों अपीलों के तथ्य, पक्षकारान एवं विषय-वस्तु समान होने से इन दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पो0/वादी मूर्ति मंदिर की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, सहायक कलक्टर नगर के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि विवादित आराजी मूर्ति श्री बिहारीजी महाराज के कब्जा काश्त एवं खातेदारी की है। राजस्थान जमींदारी व विश्वेदारी उन्मूलन एक्ट लागू होते समय मूर्ति मंदिर श्री बिहारीजी महाराज की खातेदारी मुताबिक जमाबंदी रही है। कोई भी व्यक्ति मंदिर की आराजी पर खातेदारी हक प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम हो रहे इन्द्राज को कलमजन किया जाकर मूर्ति मंदिर के नाम खातेदारी दर्ज की जावे। साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। प्रतिवादीगण ने जवाब दावा प्रस्तुत कर विरोध किया एवं वाद खारिज करने का निवेदन किया। दावा व जवाब दावा के आधार पर विचारण न्यायालय ने 4 तनकियात कायम की एवं पक्षकारान की दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य दर्ज कर तथा उभय पक्ष को सुनकर निर्णय दिनांक 9-7-2001 द्वारा आराजी खसरा नंबर 792, 797, 798 व 800 सालिम पर वादी मंदिर मूर्ति श्री बिहारी जी महाराज को खातेदार काश्तकार घोषित किया। साथ ही उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी इन्द्राज को कलमजन करने तथा उक्त आराजीयात मंदिर मूर्ति श्री बिहारी जी महाराज के नाम खातेदारी हक से राजस्व रिकार्ड में प्रविष्ट किये जाने का आदेश भी दिया किन्तु स्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं समझा। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 9-7-2001 के विरुद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांट्स रामजीलाल वगैरह ने अपील संख्या 237/2001 तथा वादी/रेस्पो0मूर्ति बिहारी जी महाराज ने अपील संख्या 368/2001 राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 16-2-2006 द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांट्स रामजीलाल वगैरह द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 237/2001 को निरस्त कर दिया तथा वादी/अपीलांट मूर्ति मंदिर बिहारीजी महाराज की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 368/2001 को स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 9-7-01 में निम्नानुसार संशोधन किया—

“1— तहसील नगर के ग्राम मुढेरा के खसरा नम्बर 799/0.21हेक्टर की भूमि पर भी मूर्ति बिहारीजी महाराज खातेदार कृषक है।

2— प्रतिवादीगण रामजीलाल, यादराम, उददन पुत्र मूसे, नल्ली पुत्र नानगा एवं लीला, रंधीर, कल्ले पुत्रान गिलहरी, हरीराम पुत्र मूली, प्रेम पुत्र अमरचन्द, रामदयाल, शिवदयाल पिसरान गोपी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे मूर्ति मन्दिर की उपरोक्त भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें।”

अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 16-2-2006 से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा उक्त दो अपीलें इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई हैं।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट/प्रतिवादी ने सहायक कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17-7-1980 की नकल प्रस्तुत की थी। उक्त निर्णय में यह तय हो चुका था कि जो जमीन अपीलांट के कब्जे में थी उसमें से कुछ जमीन अपीलांट ने स्वयं मंदिर को दे दी थी और उसी के आधार पर वाद जरिये राजीनामा डिक्री हुआ था। तदुपरान्त वादी मंदिर की ओर अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा वादी को दी गई जमीन के अतिरिक्त शेष बची अपीलांट/प्रतिवादी की खातेदारी जमीन को भी अपनी बताते हुए वादी मंदिर की ओर से अपीलांट/प्रतिवादी के विरुद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर दिया, जो कि रेसज्यूडिकेटा के सिद्धांत से बाधित होने के कारण कानून चलने योग्य नहीं था इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने वादी/रेस्पो0 के वाद को डिक्री कर दिया तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी वादी मंदिर की अपील को स्वीकार कर लिया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने वादी मंदिर के प्रति भावनात्मक रुख अपनाते हुए वादी/रेस्पो0 के वाद/अपील को स्वीकार किया है, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। वादी/रेस्पो0 का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं था इस कारण उसका वाद चलने योग्य नहीं था फिर भी केवलमात्र भावनात्मकता के आधार पर वादी के वाद एवं अपील को स्वीकार करने एवं अपीलांट/प्रतिवादी की अपील को खारिज करने में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने गंभीर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है। अतः उक्त दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी मंदिर मूर्ति की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है। मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है, जिसकी भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने पर मंदिर मूर्ति को स्वतः ही उक्त अधिनियम की धारा 13 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो

गये हैं। मंदिर की भूमि पर किसी को भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। उनका यह भी तर्क है कि अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया निर्णय डिक्री प्रदर्श नहीं कराया गया है और ना ही अपीलांट/प्रतिवादी ने उक्त निर्णय व डिक्री बाबत अपने जवाब दावा में कोई उल्लेख नहीं किया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट/प्रतिवादी का कथन स्वीकार योग्य नहीं है। उनका यह भी कथन है कि खसरा नंबर 788 के संबंध में स्वयं प्रतिवादीगण ने अपने लिखित अभिकथन में यह स्वीकार किया है कि विवादित आराजी के नये व पुराने खसरा नंबर के संबंध में पक्षकारों में कोई विवाद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को खसरा नंबर 788 पर भी अपना निर्णय पारित करते हुए वादी/रेस्पो0 को खातेदारी प्रदान करनी चाहिए थी। साथ ही जब विचारण न्यायालय ने शेष अन्य खसरा नंबरान पर वादी का कब्जा काशत मानते हुए उसे खातेदार घोषित किया है तो ऐसे में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी करनी चाहिए थी। प्रतिवादी द्वारा विवादित आराजी में से 1/4 व 3/4 हिस्सा यथास्थित अपनी खातेदारी का दावा कर रहे हैं जो कि मंदिर मूर्ति के हितों के विपरीत है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट/प्रतिवादी की अपील को खारिज करने एवं वादी/रेस्पो0 की अपील को स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय में संशोधन कर खसरा नंबर 788 का वादी को खातेदार घोषित करने एवं वादग्रस्त समस्त खसरा नंबरान बाबत प्रतिवादीगण को जर्गे स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करने का आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत है तथा इस द्वितीय अपील में विधि का ऐसा कोई महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु अन्तर्वर्तित नहीं है, जिससे कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित विधि सम्मत निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने 2012 (2) आरआरटी 979, एआईआर 1998 राज0 85, 2016(2) डीएनजे (राज0) 1373, 2014(1) आरएलडब्ल्यू 279, 2018 आरआरडी 235 के न्यायिक दृष्टांत उद्धृत किये।

6. बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उद्धृत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया।

7. रेस्पो0/वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष साबिक आराजी खसरा नंबर 607, 613, 614, 616 हाल आराजी खसरा नंबर 788 रकबा 0.21, 792 रकबा 0.52, 797 रकबा 0.21, 798 रकबा 0.47, 800 रकबा 0.03 बाबत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काशतकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित करने, प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन करने एवं

प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने पक्षकारान की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य दर्ज कर एवं उभय पक्ष की बहस सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 9-7-2001 द्वारा आराजी खसरा नंबर 792 रकबा 0.52, 797 रकबा 0.21, 798 रकबा 0.47 व 800 रकबा 0.03 सालिम पर वादी मंदिर मूर्ति को खातेदार घोषित करने एवं प्रतिवादी के नाम खातेदारी इन्द्राजात को कलमजन किये जाने तथा उक्त आराजीयात मंदिर के नाम खातेदारी हक से राजस्व रिकार्ड में प्रविष्ट किये जाने का आदेश पारित किया। किन्तु उक्त आराजीयात बाबत स्थायी निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं समझा। साथ ही खसरा नंबर 788 के बाबत कोई रिकार्ड वादी द्वारा पेश नहीं किया जाना मानते हुए इस खसरा नंबर बाबत कोई निर्णय नहीं किया जाना अंकित किया है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 का यह कथन है कि खसरा नंबर 788 के संबंध में स्वयं प्रतिवादीगण ने अपने लिखित अभिकथन में यह स्वीकार किया है कि विवादित आराजी के नये व पुराने खसरा नंबर के संबंध में पक्षकारों में कोई विवाद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को खसरा नंबर 788 पर भी अपना निर्णय पारित करते हुए वादी/रेस्पो0 को खातेदारी प्रदान करनी चाहिए थी। साथ ही जब विचारण न्यायालय ने वादग्रस्त आराजीयात पर वादी का कब्जा काश्त मानते हुए उसे खातेदार घोषित किया है, तो ऐसे में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी करनी चाहिए थी। हमारी सुविचारित राय में जब विवादित आराजी के पुराने व नया खसरा नंबरान बाबत पक्षकारों के मध्य कोई विवाद नहीं है तथा स्वयं प्रतिवादीगण द्वारा अपने लिखित अभिकथन में वादी के वाद में मिलान खसरा नंबर से संबंधित अभिकथन को स्वीकार किया है तो ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा मिलान क्षेत्रफल के अभाव में खसरा नंबर 788 के संबंध में निष्कर्ष नहीं दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। विचारण न्यायालय को अन्य खसरा नंबरान के साथ खसरा नंबर 788 के संबंध में वही निष्कर्ष दिया जाना चाहिए था। साथ ही जब विचारण न्यायालय ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से वादग्रस्त आराजीयात मंदिर की होना सिद्ध पाया एवं उसी के आधार पर वादी मंदिर को वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया है तो ऐसे में प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने का आदेश भी पारित करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 16-2-2006 द्वारा अपीलांत/प्रतिवादी की अपील को खारिज करने एवं रेस्पो0/वादी की अपील को स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 9-7-2001 को संशोधित करते हुए वादी मूर्ति बिहारी जी महाराज को खसरा नंबर 788 रकबा 0.21 हैक्टेयर का भी खातेदार घोषित करने तथा प्रतिवादीगण को मूर्ति मंदिर की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने

हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विधिक स्थिति को विस्तृत रूप से विवेचित करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 16-2-2006 पारित किया है, जो पूर्णतया विधि सम्मत है। हम अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से पूर्णतया सहमत हैं एवं उसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार उक्त दोनों अपीलें खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा अपील संख्या 237/01 एवं 368/01 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16-2-2006 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)
सदस्य

(महेन्द्र कुमार पारख)
सदस्य